गंगा अभियान

– जगदीश चन्द्र पंत'

इस पत्राक का शीर्षक जो रखा गया है, उसके मुकाबले शीर्षक 'गंगा बचाओ अभियान' रखने पर काफी विचार किया गया। इसमें 'बचाओ' शब्द बार.बार खटक रहा था– जिस 'सुरसरि धारा' याने गंगा ने अनादिकाल से अपने तट पर आचमन अथवा स्नान की सुविधा अपने भक्तों के पापों को हरने के लिए दी है, उसे 'बचाने' वाले हम कौन हैं, हमारी क्या हैसियत है ? हम गंगा को गंदा न करें, अपनी अविरल मल.धारा को उसमें न मिलाए", अपने गंदे नालों को उसमें न डालें, उसमें साबुन लगाकर स्नान न करें, कुल्ला न करें, थूकें नहीं, अपनी फैक्ट्रियों के प्रदूषित उत्सर्जन को उसमें न डालें, अपने अधजले शव उसमें बहाए" नहीं, तो इतने से ही गंगा पुनः हमारे पापों के हरण के लिए उसी प्रकार तत्पर हो जाएगी, जैसा कि वह अनादिकाल से करती आ रही है। उत्तरांचल राज्य की तो प्रत्येक नदी और जलधारा गंगा में ही समा जाती है– यहा" तो यही अनुशासन सभी नदियों, जल.स्रोतों, जल. धाराओं के लिए अपनाना पड़ेगा– अन्यथा उत्तरांचलवासी उसे गन्दा करने के दोष से बच नहीं पाए"गे। और जरा विचार करें तो यही अनुशासन देश के सभी क्षेत्राों में अपनी.अपनी नदियों, जल.धाराओं और जल.स्रोतों के लिए देशवासियों को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ वर्षों बाद तो स्थिति बरदाश्त के बाहर हो जाएगी। जिस पेयजल की आपूर्ति सब नगर वासियों के घरों में स्थानीय निकायों अथवा जल संस्थानों द्वारा की जा रही है, वह आज भी रोगवर्धक कीटाणुओं से लैस होकर उनके और उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य को चौपट करके रख ही दे रहा है। 'Health for All' के स्थान पर 'Hell for All' की सुदृढ़ व्यवस्था हमारे स्थानीय निकाय एवं जल संस्थान आज पूरे देश में ही कर रहे हैं, इसके प्रति देशवासी समय रहते अभी भी नहीं जागते हैं तो अनर्थ हुआ जा रहा है।

भारतीय शास्त्राों में यह हिदायत थी कि जल.स्रोतों एवं जल.धाराओं के समीप मल. त्याग अथवा विसर्जन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नगरपालिकाए" तो जब से बनी हैं, अपनी मल.धाराओं को नदी.नालों में ही बहा रही हैं। पहले आबादी कम थी और मल.निस्तारण की व्यवस्था आज जैसी नहीं थी। पचास वर्ष के पूर्व तक शौचालय घरों के अन्दर नहीं हुआ करते थे, घर से कुछ दूर हटकर शौचालय होते थे, जिन्हें साफ करने की जिम्मेदारी जाति विशेष के लोगों की होती थी। उन दिनों सर पर मल ढोने की व्यवस्था थी, जिसे बस्ती से दूर किसी नाले में डाला जाता था। सर पर मल ढोने की व्यवस्था अब लगभग पूरे देश में समाप्त हो चुकी है, जो एक आवश्यक समाज सुधार था, जिसके प्रणेता राष्ट्रपिता महात्मा गा"धी स्वयं थे। उसके बाद घरों में सोकेज पिट की व्यवस्था होती थी, जिसके अन्दर शौच के बाद पानी से बहाया गया मल समा जाता था। यही मल 'सोकेज पिट' में ही मिट्.टी.खाद में परिवर्तित हो जाता था और वर्षों तक उसका उपयोग किया जाता

था। सोकेज पिट या गड्ढा भर जाने पर उसे खाली कराने की कवायद यदा.कदा अवश्य करनी पड़ती थी, लेकिन यह पहले की व्यवस्था से अधिक कारगर, वैज्ञानिक और मानवीय थी। 'सोकेज पिट' से 20 फिट इधर.उधर किसी प्रकार के कीटाणुओं की उपस्थिति नहीं रहती थी। उसके बाद आई 'सीवर' व्यवस्था', जिसमें फ्लशयुक्त पाखाने बनने लगे। इस व्यवस्था में 'सीवर' की नाली लम्बी दूरी पर एक 'सीवर फार्म' में फैलायी जाती थी और मल को खाद में परिवर्तित कर दिया जाता था। इस खाद की बड़ी मा"ग रहती थी और इस प्रकार जहा".जहा" 'सीवर फार्म' की व्यवस्था होती थी, वहा" इस मल से नदी.नाले प्रभावित नहीं होते थे। लेकिन सन् 1986 में 'गंगा एक्शन प्लान' की शुरुआत के बाद 'सीवर फार्म' के स्थान पर अब 'सीवर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट' (S.T.P) की व्यवस्था होने लगी, जिसका उत्सर्जन सीधे नदियों में डाला जाने लगा। इसी के साथ फैक्ट्रियों के प्रदूषित उत्सर्जन को भी इसी प्रकार 'ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट' के ज़रिए नदियों में डाला जाने लगा। अर्थात् उसके बाद से हर शहर की मानवीय या फैक्ट्रियों की मल.धाराए" 'ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट' के ज़रिए गंगा. यमुना और देश की अन्य नदियों में डाले जाने लगीं। बिडम्बना यह है कि यह सभी 'ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट' बराय नाम ही हैं, ये विद्युत के अभाव में निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण यह मल.धाराए" अपने मूलरूप में बेरोकटोक गंगा, यमुना और देश की सभी नदियों में समा रही हैं। जापान इण्टरनेशनल कोऑपरेशन एजेन्सी के एक अध्ययन के अनुसार गौमुख से गंगासागर तक लगभग पूरी लम्बाई में गंगा के प्रदूषण का 80 प्रतिशत सीवरेज से, 17 प्रतिशत फैक्ट्रियों के उत्सर्जन से एवं 3 प्रतिशत अन्य स्रोतों से हो रहा है। अभी तो कुछ ही नदिया", जैसे दिल्ली में यमुना, गन्दे नाले बन चुकी हैं, लेकिन यही हाल रहा तो देश की हर नदी कुछ सालों में गन्दे नाले बन जाए"गी। ये नदिया" ही देशभर में पेयजल आपूर्ति की स्रोत हैं। तब देश की पूरी आबादी को पीने के पानी के लिए तरसने के सिवा कोई चारा न रहेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि 'सीवर प्रणाली' के अन्तर्गत नए.नए उभरते शहरों के मल को 'सीवर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट' के ज़रिए केन्द्रीकृत कर नदियों में, नालों में, जल.स्रोतों में डालने की प्रणाली को जितनी जल्दी समाप्त किया जा सके, किया जाना चाहिए। यह कार्य शासन, जिसने इस प्रदूषण फैलाने वाली प्रणाली को आरम्भ किया था, द्वारा ही समाप्त हो सकता है, और किसी के द्वारा नहीं। तब विकल्प क्या होगा ?

एक विकल्प यह है कि मल.निस्तारण को केन्द्रीकृत प्रणाली के माध्यम से निस्तारित करने के बजाय नगर महापालिकाओं एवं नगरपालिकाओं को विकेन्द्रित प्रणाली से घरों के आस.पास निस्तारित करने की प्रणाली का सहारा लेना होगा। ऐसी प्रणाली आज उपलब्ध है और उसका उपयोग भी कई स्थानों पर हो रहा है। ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड्स ने 50 परिवारों/घरों के लिए एक मॉडल तैयार किया है, जिसे I.S. 2470 Part I-Part II कहा जाता है, जिसका उपयोग विकेन्द्रित पद्धति से हो सकता है। लेकिन कठिनाई सरकारी तंत्रा के अभियन्ताओं के पूर्वाग्रह के कारण पैदा होती नज़र आ रही हैय सरकारी तंत्रा को मल.निस्तारण

व्यवस्था को 'सीवर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट' के माध्यम से केन्द्रीकृत करने में इतने लाभ नज़र आते हैं कि वे विकल्प की ओर देखने को भी राज़ी नहीं होते हैं। इसमें तो संशय नहीं है कि जहा".जहा" वर्तमान में मल.निस्तारण की केन्द्रीकृत योजनाए" चल रही हैं, वहा" उन्हें बदला जाना लगभग असम्भव ही होगा, लेकिन उनके तहत S.T.P. (Sewerage Treatment Plant) जो कार्यरत हैं, उनके उत्र्सजन को नदियों में डालना बन्द हो सकता है, और इस ओर प्रयास होने चाहिए। इस उत्र्सजन का उपयोग सिचाईं के लिए किए जाने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इस ओर भी उदासीनता नज़र आती है। देश के कई भागों में मल को जल से बहाने के स्थान पर उसे सूखे ही या कम से कम नमी के रहते केचुओं के माध्यम से खाद में परिवर्तित करने, अथवा बायोगैस में परिवर्तित करने की विधाओं का विकास हुआ है और ये विधिया" प्रयोग में लाई भी जा रही हैं। बैंगलॉर एक ऐसा नगर क्षेत्रा है जहा" इस प्रकार की कम जल की खपत वाली प्रणाली का उपयोग हो रहा है। इन विधियों का उपयोग आवासीय सहकारी संस्थाओं और नगर पालिकाओं को करना चाहिए। नए स्थानों में अब विकेन्द्रीकृत प्रणाली से मल.निस्तारण की व्यवस्था को जन.आन्दोलन का रूप देकर ही इस समस्या का समाधान निकलने की सम्भावना दिखाई पड़ती है। इसके लिए हर उभरते शहर के बिल्डर्स, आवासीय कालोनियों के संघों, स्वैच्छिक संगठनों, जो पर्यावरण की सुरक्षा का बीड़ा उठाए हुए हैं, आदि को मिलकर काम करना होगा। क्या.क्या काम किए जाने हैं, उनमें से कुछ का विवरण इस पत्राक के माध्यम से सर्व साधारण को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

गंगा.यमुना की सफाई का कार्यक्रम जिस रूप में सामने आता दिखाई पड़ रहा है, उसके अन्तर्गत वर्ष में एक बार जब इन नदियों में पानी कम से कम होता है, तब उसमें एक.दो हज़ार स्वयंसेवक घुसकर उसके कचरे को बाहर निकालने का पुनीत कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह कचरा ट्रकों से स्थानीय नगरपालिका के द्वारा किसी निर्धारित स्थान पर डलवाया जाता है और उसके बाद इस विषय को अगले वर्ष इसी प्रकार की कार्यवाही के लिए भुला दिया जाता है। फिल्मी अन्दाज़ में सभी प्रमुख आयोज़कों का फोटोग्राफ और आयोजन का विस्तृत विवरण स्थानीय अथवा राष्ट्रीय अखबारों में छप जाता है और संस्था विशेष की गंगा.यमुना के प्रति भक्ति का यथेष्ट प्रचार हो जाता है। यह सब अपने आप में सराहनीय तो है लेकिन क्या यह कार्यक्रम एवं इतनी निष्ठा गंगा.यमुना एवं देश की अन्य नदियों को साफ रखने के लिए पर्याप्त हैं ? जन जागरण के उद्देश्य से किए जाने वाले ऐसे प्रयास क्या उस समाज को प्रभावित कर सकेंगे, जो हज़ारों साल से गंगा.यमुना एवं अन्य पवित्रा नदियों की धाराओं से सिंचित हो रहा है ? क्या इस प्रक्रिया के प्रचार से गंगा.यमुना और देश की नदियों में बारहों मास 24 घण्टे समाने वाली अविरल मल. धाराओं के प्रदूषण का उपचार हो पाएगा ? कहीं यह प्रयास इस विभीषिका से ध्यान हटाने का प्रयत्न तो नहीं है ? यदि नहीं, तो फिर केवल अपनी गंगा भक्ति की निष्ठा का प्रचार कर क्या हासिल किए जाने का प्रयास होता है ? इस प्रकार की

चिन्ह.पूजा से गंगा.यमुना और देश की सभी नदियों और जल.धाराओं को शुद्ध कदापि नहीं रखा जा सकता है – इसे सभी समझ़दार देशवासियों को समझ़ना होगा। मल जहा" से उत्पन्न हो रहा है, वहीं से उसके उपचार की व्यवस्था सोचनी होगी।

महात्मा गा"धी ने 'वर्धा मॉडल' देहाती क्षेत्राों के लिए सुझाया था, जो काफी सफल भी रहा है, लेकिन इसके उपयोग को पर्याप्त बढ़ावा देने की ओर ध्यान नहीं गया प्रतीत होता है। सुलभ शौचालय संगठन ने Two Pit Pour Flush (TPPF) का मॉडल घरों के लिए सुझाया है, लेकिन इसका प्रयोग छुट.पुट ही होता नज़र आ रहा है। भारत सरकार द्वारा 'स्वजल परियोजना' में इसका संशोधन धनराशि के व्यय को सीमित करने के लिए Two Pit के स्थान पर One Pit कर देने से कर दिया गया है, जिसके परिणामों की समीक्षा की जानी है। उत्तरांचल में सरकार की 'स्वजल परियोजना' के उन गा"वों में, जो गंगा के किनारे स्थित हैं, One Pit Toilet के स्थान पर Two Pit Toilet करने में जो अतिरिक्त धनराशि व्यय होगी, उसकी भरपायी करने की पहल ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन द्वारा की गई है, लेकिन अब यह देखा जाना शेष है कि 'स्वजल परियोजना' द्वारा इस पहल का उपयोग किया जाता है या नहीं, और यदि किया जाता है तो वे ऐसा कब करेंगे। सौभाग्य की बात है कि उत्तरांचल राज्य सरकार गंगा और यमुना को गन्दा न होने देने के लिए काफी दिलचस्पी दिखा रही है और सिद्धान्त रूप से उन्होंने आगे वर्णित 12 सूत्राी कार्यक्रम को अपनी स्वीकृति भी दी है। पिछले मार्च के महीने से, प्रारम्भ में हर माह और अब हर दो माह में, सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की बैठक स्वयं मुख्य सचिव ले रहे हैं, लेकिन इन बैठकों में कुछ को छोड़कर अधिकांश विभागीय अधिकारियों को अपने इस कार्यक्रम सम्बन्धी दायित्वों के प्रति उदासीन ही पाया गया है। उनकी उदासीनता कैसे मिटेगी, यह एक यक्ष प्रश्न अवश्य बन गया है। यदि देश के सभी राज्य इन 12 सूत्राों के अनुरूप अपने.अपने राज्य की नदियों, जल.स्रोतों और जल.धाराओं को आवश्यकतानुसार एवं परिस्थिति के अनुरूप स्वच्छ रखने का कार्यक्रम हाथ में ले लें और निष्ठापूर्वक चलाए" भी तो अवश्य ही देश की सभी नदियों, जल.स्रोतों और जल.धाराओं को स्वच्छ रखने का जो स्वप्न कुछ मुझ जैसे साधारण व्यक्तियों ने देखा है, उसे साकार किया जा सकेगा। इस आशय का पत्रा मेरे द्वारा देश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को भेजा गया है। उत्तरांचल में हरिद्वार, ऋषिकेश के लगभग 400 आश्रमों से इस आशय के अनुरोध किए गए हैं। उत्तरांचल के 63 स्थानीय निकायों को सम्बोधित किया गया है। इसी प्रदेश के 95 विकासखण्डों के ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को भी इस आशय के पत्रा भेजे गए हैं ताकि प्रदेश के प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों तक यह संदेश पहु"च सके। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सफाई, घर की सफाई और पास.पड़ोस की सफाई के विषय में भी सचेत करना है ताकि उत्तरांचल का हर गा"व साफ.सुथरा हो सके। शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है कि प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में इन सरोकारों को

सम्मिलित किया जाय। जनजागरण होता हुआ दिखाई पड़ने लग गया है। लेकिन क्या यह जन जागरण किसी सकारात्मक जन अभियान को जन्म दे पाएगा, यह देखा जाना है।

उत्तरांचल में गंगा.यमुना तथा अन्य नदियों, नालों और झरनों को गन्दा न होने देने की प्रस्तावित योजना की रूप.रेखा

1. उत्तरांचल में 'गंगा एक्शन प्लान' और 'यमुना एक्शन प्लान' की समीक्षा एवं उनसे इस योजना के अन्तर्गत समन्वय।
2. सभी नदियों, नालों, झरनों के स्रोतों से लेकर नदियों में मिलने तक प्रत्येक के दोनों तटों की लम्बाई पर स्थित मौजों, मजरों, गाँवों, कस्बों, नगरपालिकाओं, नगर महापालिकाओं आदि से अनुरोध हो कि वे अपने गन्दे नाले इन जल धाराओं में न मिलने दें एवं इस प्रकार की योजना कम से कम खर्च पर बनाए" और श्रमदान के माध्यम से क्रियान्वित करें।
3. यात्राा सीज़न से पहले प्रत्येक धर्मशाला, चट्टी, सराय, होटल आदि से निवेदन किया जाय कि वे अपने गन्दे पानी का निस्तारण इन जल धाराओं में न करें। साथ ही, हर स्थान पर कूड़े के लिए दो प्रकार की व्यवस्था बने–(1) एक, प्लास्टिक का कूड़ा (2) दूसरा, प्लास्टिक से इतर कूड़ा। इनका निस्तारण अलग.अलग प्रकार से किया जाय, जैसे– दूसरे प्रकार के कूड़े का खाद बनाना। यह याद रखना होगा कि जापान में कूड़ा.करकट को दस मदों में विभक्त करने का काम हर परिवार को करना पड़ता है और उसके उपरान्त इस कूड़े के पुनर्उपयोग करने की व्यवस्था होती है। उन्होंने यह लक्ष्य रखा है कि उनके देश में 2020 तक कूड़े से मुक्ति मिल जाय, अर्थात हर प्रकार के कूड़े का पुनर्उपयोग होने लग जाय।
4. उत्तरांचल के सभी पैदल मार्गों पर आगामी यात्राा सीज़न में पद यात्राओं का आयोजन हो, जिनके माध्यम से समीपस्थ मौजों, मजरों, गा"वों, चट्टियों, धर्मशालाओं आदि से इसी प्रकार का सविनय अनुरोध किया जाय।
5. हरिद्वार, ऋषिकेश एवं अन्य तीर्थों में मन्दिरों के 'निर्माल्य' का निस्तारण गंगा में न कर किसी अन्य प्रकार से सम्पन्न किया जाय, जैसे उसकी खाद तैयार करना जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जा सकता है। पूजा.अर्चना के लिए भक्तों को एक पुष्प प्रयोग करने की प्रेरणा दी जा सकती है। गंगा में अथवा अन्य जल धाराओं में दूध डालना तो बिलकुल निषिद्ध किया जाना चाहिए क्योंकि इससे जल में कीटाणुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए साधु.समाज और पण्डे. पुरोहितों से विशेष निवेदन किया जाय।
6. अन्य व्यवस्थाएँ, जो योजना को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक समझी जाय"।
7. पूरी परियोजना को mission mode में संचालित किया जाए, जिसमें उत्तरांचल सरकार के सभी सम्बन्धित विभागों के साथ.साथ रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से लोक शिक्षण का कार्य भी सम्मिलित हो।

8. उत्तरांचल में जहाँ भी सीधे ही untreated sewerage नदी.नालों में डाला जा रहा है, उन स्थानों का चिन्हीकरण तथा उनके युद्ध.स्तर पर अन्यत्रा निस्तारण की योजना बना कर क्रियान्वित करना। यह कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए।
9. जहाँ भी sewerage treatment plants का effluent नदियों में डाला जा रहा है, उसका परीक्षण, कि क्या treated effluent ही जा रहा है अथवा सीधे ही untreated sewerage डाला जा रहा है, जैसा अक्सर विद्युत आपूर्ति के अभाव में पूरे देश में हो रहा है। इस effluent को भी पर्याप्त स्तर तक शोधित कर उसके पुनर्उपयोग की व्यवस्था भी की जानी है। इसका उपयोग सिंचाई के लिए भली प्रकार से हो सकता है।
10. पूरे sewerage disposal के विषय पर policy level पर विचार हो, जिसके अन्तर्गत पुरानी soakage pit पद्धति को दुबारा इस्तेमाल में लाने अथवा विकेन्द्रीकृत प्रणाली से मल निस्तारण की अन्य विधाओं पर विचार हो, क्योंकि इसके अन्तर्गत भूमिगत जल भी पानी के कम इस्तेमाल के कारण अधिक प्रभावित नहीं होता है। संशोधित नीति को प्रभावी तरीके से उन स्थानों पर भी क्रियान्वित किया जाए, जो वर्तमान पद्धति के कारण जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है।
11. लोक निर्माण विभाग द्वारा पुराने पैदल मार्गों का नवीनीकरण हो, तथा पुरानी चट्टियों . धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार कर adventure tourism में trekking circuits इन पुराने पैदल मार्गों से बनाए जाय"– जाड़ों के winter treks के लिए कम ऊँचाई के पैदल मार्ग और गर्मियों के summer treks के लिए ऊँचाई के पैदल मार्ग।
12. स्वामी चिदानन्द 'मुनि जी', अध्यक्ष, परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश की अध्यक्षता में सभी सम्बन्धित व्यक्तियों, संस्थाओं एवं साधु.समाज तथा उत्तरांचल शासन के सम्बन्धित विभागों के सक्षम प्रतिनिधियों का एक वृहत् सम्मेलन आयोजित हो, जिसमें इस योजना को सर्वमान्य घोषित कर उसे क्रियान्वित किया जाय एवं सभी का सहयोग लिया जाय। इस सम्मेलन की व्यवस्था 'मुनि जी' के निर्देश प्राप्त कर उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाय।

यह प्रसन्नता का विषय है कि इस पूरी समस्या पर गहन चिन्तन एवं विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी का उपयोग करके इसका समुचित समाधान निकालने की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में उत्तरांचल स्टेट काउन्सिल फॉर साईन्स एण्ड टेक्नोलोजी ने इस के तकनीकी पहलुओं पर विचार.विमर्श की प्रक्रिया का शुभारम्भ किया है। 25 फरवरी, 2006 को आयोजित इस कार्यशाला के निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाए गए और उन पर भविष्य में एक महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रारूप के उभरने की आशा व्यक्त की गई थी। इस प्रयास के प्रारम्भ में उत्तरांचल राज्य के पूर्व मुख्य सचिव डॉ॰ रघुनन्दन सिंह तोलिया और अब वर्तमान मुख्य सचिव श्री रामचन्द्रन तो स्वयं इस समस्या से शासन.स्तर पर जूझते रहे हैं। आशा यही की जा सकती है, कि उन्हें सभी सम्बन्धित विभागों एवं पक्षों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। उत्तरांचल सरकार ने जो पहल की है वह उन्होंने किसी छोटी.मोटी योजना पर हाथ नहीं लगाया है, वरन् यह किसी भगीरथ प्रयास से कम सिद्ध नहीं होगा। इस प्रयास को

सफल बनाने में अब देश की पूरी सामर्थ्य एवं प्रतिभा को झोंका जाना परमावश्यक है।

' जगदीश चन्द्र पंत, पूर्व सचिव, भारत सरकार– अब 'श्रद्धा कुंज', 159/८ ,वसन्त विहार, देहरादून में निवास करते हैं।